

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

न्यायालय अधिकारी :- बन्शीधर योगी, (आर0ए0एस0)  
मुकादमा संख्या :- 431/2003 प्रपत्र

01. ~~बन्शीधर~~ कुज जोर सुपर सि-वांस्वो श्री फेरी मड-कैडा

प्रार्थी.....

बनाम

01. ~~बन्शीधर~~ जोगी वटसीपकर कैडा

विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18/12/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत पर निवेदन किया कि ग्राम ~~कैडा~~ पटवार हल्का ~~उम्मी~~ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 114 आराजी नम्बर 954, 955,

कुलकिता 2 रकबा 0.1264 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 9/10/23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का दिदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~कैडा~~ पटवार हल्का ~~उम्मी~~ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 114 आराजी नम्बर 954, 955,

कुलकिता 2 रकबा 0.1264 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक को 400/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये सुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सिलगन:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी  
उपकरेडा जिला भीलवाडा  
सहायक कलक्टर

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
उपकरेडा जिला भीलवाडा  
सहायक कलक्टर